न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 127 / 2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गिरधारीराम पुत्र जवानराम 2– फुसाराम पुत्र हीराराम 3– तेजाराम पुत्र भाकरराम जातियान पटेल निवासीगण ग्राम बासनी सिलावटा तहसील लूनी, जिला जोधपुर		1–नेमीचंद पुत्र कुन्दलमल के का0मुकाम– 1.1–श्रीमती सुशीला पत्नी स्व0 नेमीचंद 1.2–धीरज पुत्र स्व0 नेमीचंद 1.3–श्रीमती सुषमा पुत्री स्व0 नेमीचंद पत्नी पंकज शाह 1.4–श्रीमती रेशमा पुत्री स्व0 नेमीचंद पत्नी स्व0 पवन बिडला समस्त जातियान महाजन निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील लूनी हाल माहेश्वरी न्याति नोहरे के पास, मसूरिया जोधपुर 2–जेनाराम उर्फ जयनारायण पुत्र कुन्दलमल जाति महाजन निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील लूनी जिला जोधपुर हाल माहेश्वरी न्याति नोहरे के पास, जोधपुर 3–मधु पत्नी पूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील लूनी, जिला जोधपुर 4–बलदेव पुत्र भल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील लूनी जिला जोधपुर 5– उप तहसीलदार झंवर भूमिधारी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू अभिलेख / 2019 / 160 दिनांक 27–5–2019 द्वारा उप तहसीलदार झंवर एवं म्युटेशन संख्या 1356 ग्राम बोरानाडा तहसील लूनी को निरस्त करने बाबत ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।
3– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरानाडा के खसरा नंबर 242 की कुल 14.19 बीघा भूमि गणेशमल, बस्तीमल, कुन्दनमल, जसराज, लालचंद, गोकलचंद पि0 चौथमल जाति महाजन के संयुक्त खातेदारी की थी, उक्त खसरा नंबर 242 की भूमि मे से सडक निकलने से 5.10 बीघा भूमि गै.मु.सडक के रूप मे तथा सहखातेदार कुन्दनमल के फोत हो जाने पर यह भूमि आपसी बंटवाडे के तहत कुन्दनमल के पुत्रो नेमीचन्द, जयनारायण पि0 कुन्दनमल के नाम शेष रकबा 9.09 बीघा दर्ज करते हुए नामांतरकरण संख्या 68 ग्राम बोरानाडा का सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा

दिनंक 25–9–71 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 68 के विरूद्ध खातेदार नेमीचंद व जय नारायण ने जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि उनके खातेदारी के खसरा नंबर 242 मे से सडक मे जाने वाला रकबा मात्र 2.19 ही था जबकि नामांतरकरण संख्या 68 मे सडक का रकबा भूलवशः 5.10 बीघा दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया जो विधिसम्मत नही है । उक्त अपील की बाद सुनवाई के जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27–3–2001 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि बाद मौका जांच सडक मे गई भूमि एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे विक्रय अधीन भूमि को पूरा करने के बाद यदि भूमि शेष रहती है तो वह अपीलांटगण के खाते मे दर्ज की जायें ।

जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27–3–2001 के विरूद्ध अपीलांटगण नेमीचंद वगैरा ने द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे प्रस्तुत की गई जिसके अपील संख्या 202/2001 अनवान नेमीचंद वगैरा बनाम पूसाराम वगैरा मे बाद सुनवाई पारित निर्णय दिनांक 28–4–2010 के द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–3–2001 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 242 मे से 2.19 बीघा भूमि सडक मे जाने तथा 9.09 बीघा भूमि रेस्पो0 के पक्ष मे विक्रय अनुसार दर्ज करने के बाद शेष रकबा 2.11 बीघा भूमि अपीलांटगण के खाते मे नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना करवाने हेतु वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 जयनारायण पुत्र स्व0कुन्दनमल जैन की ओर से अधिवक्ता अशोक चौधरी ने नायब तहसीलदार झंवर के समक्ष दिनांक 27–5–2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त मूल प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही उप तहसीलदार झंवर ने उनके पत्रांक भू.अ./2019/160 दिनांक 27–5–19 के द्वारा पटवारी हल्का बोरानाडा को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करने बाबत प्रेषित किया । जिस पर पटवारी हल्का बोरानाडा ने नामांतरकरण संख्या 1356 मे खसरा नंबर 242/2 की बजाय वर्तमान अपील के अपीलांटगण के खसरा नंबर 243/2, 243/3 एवं 243/4 मे रेस्पो0 संख्या 1 नेमीचंद व रेस्पो0 संख्या 2 जेनाराम उर्फ जयनारायण पि0 कुन्दनमल के नाम रकबा 2.11 बीघा भूमि खसरा नंबर 242/1/2 के रूप मे दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख बोरानाडा द्वारा जांच किया, इन्द्राज सही पाया का नोट अंकित है तथा उक्त नामांतरकरण संख्या 1356 को उप तहसीलदार झंवर (लूनी) द्वारा दिनांक 29–2–19 को स्वीकृत कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0गण को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन

किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1356 ग्राम बोरानाडा मे वर्णित खसरा नंबरान 243/2 रकबा 0.17 बिस्वा, खसरा नंबर 243/3 रकबा 0.17 बिस्वा, 243/4 रकबा 0.17 बिस्वा कुल 3 खसरान की 2.11 बीघा भूमि अपीलांटगण के खातेदारी मे दर्ज है । वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत इस न्यायालय मे पूर्व मे प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 202/2001 अनवान नेमीचंद बनाम पुसाराम मे पारित निर्णय दिनांक 28–4–2010 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय मे तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 242 मे से 2.19 बीघा भूमि सडक मे जाने तथा 9.09 बीघा भूमि रेस्पो0 के पक्ष मे विक्रय अनुसार दर्ज करने के बाद शेष रकबा 2.11 बीघा भूमि अपीलांटगण के खाते मे नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी पक्षकार ने कोई अपील दायर नही की अथार्त उक्त निर्णय अंतिम हो गया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त निर्णय पारित होने के 9 वर्ष तक तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड आदेश की कोई पालना नही की न ही रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया और दिनांक 27–5–2019 को वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 जयनारायण पुत्र स्व0कुन्दनमल जैन की ओर से अधिवक्ता अशोक चौधरी ने नायब तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उप तहसीलदार झंवर ने बिना प्रकरण दर्ज किये एवं बिना जांच व कार्यवाही के अपीलाधीन आदेश के जरिये पटवारी हल्का बोरानाडा को निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करे। पटवारी हल्का बोरानाडा ने नामांतरकरण संख्या 1356 मे खसरा नंबर 242/2 की बजाय वर्तमान अपील के अपीलांटगण के खसरा नंबर 243/2, 243/3 एवं 243/4 मे रेस्पो0 संख्या 1 नेमीचंद व रेस्पो0 संख्या 2 जेनाराम उर्फ जयनारायण पि0 कुन्दनमल के नाम रकबा 2.11 बीघा भूमि खसरा नंबर 242/1/2 के रूप मे दर्ज कर पेश किया जिसे उप तहसीलदार झंवर द्वारा दिनांक 29–5–19 को स्वीकृत कर दिया तथा अगले ही दिन म्युटेशन संख्या 1359 नेमीचंद की फोतेदगी के संबंध मे पटवारी द्वारा दर्ज किया जिसे ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रस्ताव के दिनांक 7–6–2019 को स्वीकृत कर दिया तथा दिनांक 14–6–2019 को उक्त रकबे का बेचान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 एवं 4 को कर दिया तथा उनके पक्ष मे भी म्युटेशन बिना किसी प्रस्ताव के दिनांक 19–6–19 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 28–4–2010 की आड मे रेस्पो0गण एवं राजस्व कर्मचारियो ने अपीलांट के खसरा नंबर 243/2 से 243/4 की 2.11 बीघा भूमि से अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड से षडयंत्रपूर्वक हटा दिया गया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1356 निरस्त योग्य है ।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की पालना मे अधीनस्थ राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा सही तौर पर पूर्णरूपेण पालना नही की जाकर गलत ढंग से कार्यवाही की है । जब रेस्पो0 के खाते की जमीन की कुल 6.15 बीघा भूमि सडक मे

जा चुकी थी एवं शेष रकबा अपीलांट को बेचान कर दिया गया था तो रेस्पो0 का राजस्व रेकर्ड मे कोई खाता शेष ही नही रहा था । ऐसे मे रेस्पो0 के पूर्व खसरा नंबर मे इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28–4–2010 की पालना मे 2.11 बीघा शेष रही भूमि का निर्णयानुंसार इन्द्राज नही किया जाकर अन्य खाते मे इन्द्राज किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नही है । लिहाजा रेस्पो0 न्यायालय के आदेश की अनुपालना के अनुसार अनुतोष पाने का अधिकारी नही रहता है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन बाले बाले तथा षयडंत्रपूर्वक स्वीकृत किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रथम बार तब हुई जब रेस्पो0 बलदेवराम व उसका पिता भल्लाराम ने अपीलांट को उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तब अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी कर उसी दिन जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा वर्तमान अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है जिसे अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने यह अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश कमांक भूअ/2019/160 दिनांक 27–5–2019 द्वारा उप तहसीलदार झंवर तथा म्युटेशन संख्या 1356 ग्राम बोरानाडा को अपास्त करने का निवेदन किया तथा उक्त आदेश के अनुसरण मे अपीलांट के खसरा नंबर 243/2 से 243/4 ग्राम बोरानाडा मे दर्ज समस्त प्रविष्ठियां निरस्त करने तथा अपीलांटगण की खातेदारी को बहाल करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उप तहसीलदार झवंर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1356 ग्राम बोरानाडा को विधिसम्मत बताया तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए उन्होने न्यायालय के समक्ष फार्म नंबर 3 के सलंग्न कुछ दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिसमे अपीलाधीन खसरा नंबर 242 व 243 की भूमि को रीको द्वारा अवाप्त करने तथा उसके मुआवजा भुगतान संबंधी दस्तावेज, तहसीलदार जोधपुर द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित रिपोर्ट जिसमे मौजा बोरानाडा के खसरा नंबर 242 व 243 मे से मौके पर सडक के रकबे संबंधी सूचना का पत्र कमांक 908 दिनांक 2–8–96, तथा ग्राम बोरानाडा के अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 242 एवं 243 एवं उनके बट्टा नंबरो के संबंध मे राजस्व कर्मचारियो, सरपंच, वार्ड पंच आदि की उपस्थिति मे तैयार की गई सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20–9–95 आदि । जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी जाने पर अपीलांट अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 पर आपत्ति प्रकट करते हुए आक्षेप लगाया कि "अपील के अतिरिक्त दस्तावेज सीपीसी. के प्रावधानो अनुसार ही पेश किये जा सकते है, फैहसियत के साथ दस्तावेज दावा मे पेश किये जा सकते है अतः रिफ्यूज करते है"। अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि यदि रेस्पो0 अधिवक्ता कोई दस्तावेज रेकर्ड पर प्रस्तुत करना चाहते है तो वे विधिवत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करे जिसका विधिवत जवाब एवं बहस के बाद न्यायालय चाहे तो प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज को रेकर्ड पर ले सकते है ।

इसके जवाब मे रेस्पो0 अधिवक्ता ने भी न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत वर्तमान अपील की ओर दिलाते हुए कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता स्वयं ने अपील के साथ अपीलाधीन आदेश के अलावा फार्म नंबर 3 के सलंग्न पृथक पृथक दस्तावेजात प्रस्तुत किये है तो यदि मेरे द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज यदि रेकर्ड पर नही लिये जाते है तो विधिवत अपीलांट की अपील के साथ अपीलाधीन आदेश के अलावा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात को भी रेकर्ड से हटाया जाये ।

अपीलांट अधिवक्ता की दस्तावेजात के संबंध मे आपत्ति तथा रेस्पो0 अधिवक्ता के जवाब के आधार पर दस्तावेजात को रेकर्ड पर लेना अथवा नही लेना इसका निर्णय दस्तावेजात के परीक्षण के बाद न्यायालय के विवेक पर छोडते हुए रेस्पो0 अधिवक्ता को अपनी बहस निरंतर करने के न्यायालय के निर्देश पर रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम बोरानाडा स्थित खसरा नंबर 242 रकबा 14.19 बीघा तथा खसरा नंबर 243 का रकबा 12.08 बीघा कुल 2 खसरान का कुल रकबा 27.07 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता कुन्दनमल पि0 चौथमल के सहखातेदारी की थी । उक्त खसरा नंबरान 242 मे से 5.10 बीघा एवं खसरा नंबर 243 मे से 0.15 बिस्वा कुल 6.05 बीघा भूमि का रकबा सडक मे चली गई । सहखातेदार कुन्दनमल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के रूप मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम उक्त दोनो खसरो की शेष रही 21.02 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या 68 दिनांक 25–9–79 को सरपंच ग्राम पंचायत बालरवा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उक्त दोनो खसरा नंबरान क्रमशः 242 व 243 की सम्पूर्ण 21.02 बीघा भूमि का बेचान वर्तमान अपीलांट संख्या 2 फुसाराम को पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 18–6–80 से कर दिया जाने पर म्युटेशन संख्या 174 अपीलांट संख्या 2 फुसाराम पुत्र हीराराम जाति पटेल के नाम स्वीकृत होने के बाद रीको लिमिटेड जोधपुर द्वारा ग्राम नाहरनाडी एवं बोरानाडा मे निजी खातेदारो की भूमि रीको के पक्ष मे अवाप्त की गई, जिसमे ग्राम बोरानाडा के खसरा नंबर 242 की 9.09 बीघा तथा खसरा नंबर 243 की 12.08 बीघा भूमि रीको के लिए अवाप्त की गई तथा उक्त भूमि के बदले मुआवजा भी खातेदारान के नाम जारी हुआ था तथा उक्त भूमि रीको लि0 के नाम अवाप्ति के आधार पर दर्ज हो चुकी है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से नामांतरकरण संख्या 68 के विरूद्ध जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि उनके खातेदारी के खसरा नंबर 242 मे से सडक मे जाने वाला रकबा मात्र 2.19 ही था जबकि नामांतरकरण संख्या 68 मे सडक का रकबा भूलवशः 5.10 बीघा दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया जो विधिसम्मत नही है । उक्त प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 27–3–2001 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नेमीचंद वगैरा ने द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे प्रस्तुत की गई जिसके अपील संख्या 202/2001 अनवान नेमीचंद वगैरा बनाम पूसाराम वगैरा मे बाद सुनवाई पारित निर्णय दिनांक 28–4–2010 के द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक

27–3–2001 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 242 मे से 2.19 बीघा भूमि सडक मे जाने तथा 9.09 बीघा भूमि रेस्पो0 के पक्ष मे विक्रय अनुसार दर्ज करने के बाद शेष रकबा 2.11 बीघा भूमि अपीलांटगण के खाते मे नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि रेस्पो0 की कुल 27.07 बीघा भूमि मे से सडक मे गया रकबा 6.05 बीघा के बाद शेष रही 21.02 बीघा सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया गया था तथा अपीलांट की सम्पूर्ण खरीदसुदा भूमि रीको मे अवाप्त हो जाने से उक्त भूमि के बदले मुआवजा प्राप्त कर लिया था इसलिए न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की पालना मे अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने इस बात की आपत्ति प्रकट की कि प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनने के बाद अपीलांट अधिवक्ता ने दिनांक 9–12–2019 को लिखित बहस एवं अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के सलंग्न दस्तावेजात रेकर्ड मे लेने का प्रस्तुत किया है जिनकी प्रति रेस्पो0 अधिवक्ता को अवश्य दे दी गई है परंतु अपीलांट अधिवक्ता ने ऐसी अनुमति बहस के दौरान न्यायालय से नही ली गई थी फिर भी यदि न्यायालय प्रकरण के न्याय तक पहुंचने मे इन दस्तावेजो एवं लिखित बहस को रेकर्ड पर लेना उचित समझे तो यह माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं विवेक है ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1356 पर उप तहसीलदार झंवर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपील पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बाद अपीलांट अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9–12–19 को प्रस्तुत लिखित बहस का भी अध्ययन किया ।

उक्त अपील पत्रावली मे अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनो ही अधिवक्ताओ द्वारा अपील के साथ एवं बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात इस अपील के निर्णय करने मे सहायक सिद्ध होने के मध्यनजर इन सभी दस्तावेजो को रेकर्ड पर लिया जाता है तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र उसमे उल्लेखित कथनो पर विश्वास करते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अंदर सुमार की जाती है ।

अपील के गुणावगुण पर विचार करे तो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 202/2001 अनवान नेमीचन्द वगैरा बनाम पुराराम वगैरा मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 28–4–2010 जिसकी पालना करवाने के लिए

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उप तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उप तहसीलदार झंवर ने पटवारी हल्का बोरानाडा को निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करने हेतु प्रेषित किया, जिस पर पटवारी हल्का बोरानाडा ने दिनांक 28–5–2019 को ही म्युटेशन संख्या 1356 दर्ज कर प्रस्तुत किया, उक्त म्युटेशन निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी के पश्चात उक्त म्युटेशन उप तहसीलदार झंवर (लूनी) द्वारा दिनांक 29–5–19 को स्वीकृत कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील अपीलांटगण ने प्रस्तुत की है ।

इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ तथा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि ग्राम बोरानाडा स्थित खसरा नंबर 242 रकबा 14.19 बीघा तथा खसरा नंबर 243 का रकबा 12.08 बीघा कुल 2 खसरान का कुल रकबा 27.07 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता कुन्दनमल पि0 चौथमल के सहखातेदारी की थी । खसरा नंबरान 242 मे से 5.10 बीघा एवं खसरा नंबर 243 मे से 0.15 बिस्वा कुल 6.05 बीघा भूमि का रकबा सडक मे चली जाने तथा सहखातेदार कुन्दनमल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के रूप मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम उक्त दोनो खसरो की शेष रही 21.02 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या 68 सरपंच ग्राम पंचायत बालरवा द्वारा दिनांक 25–9–79 को स्वीकृत किया गया, जो म्युटेशन रेकर्ड पर है ।

उक्त म्युटेशन संख्या 68 स्वीकृत होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उक्त दोनो खसरा नंबरान कमशः 242 व 243 की सडक मे गई भूमि के रकबे को छोडते हुए शेष सम्पूर्ण 21.02 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान वर्तमान अपीलांट संख्या 2 फुसाराम को दिनांक 18–6–80 से कर दिया जाने पर उक्त बेचान के आधार पर अपीलांट संख्या 2 फुसाराम के नाम म्युटेशन संख्या 174 रकबा 21.02 बीघा का स्वीकृत हुआ, जो म्युटेशन रेकर्ड पर है ।

अपीलांट संख्या 2 फुसाराम के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 174 स्वीकृत होने के बाद रीको लिमिटेड जोधपुर द्वारा ग्राम नाहरनाडी एवं बोरानाडा मे निजी खातेदारो की भूमि रीको के पक्ष मे अवाप्त की गई, जिसमे ग्राम बोरानाडा के खसरा नंबर 242 की 9.09 बीघा तथा खसरा नंबर 243 की 12.08 बीघा भूमि रीको के लिए अवाप्त की गई तथा उक्त भूमि के बदले मुआवजे का भुगतान भी खातेदारान को किया गया था परंतु रीको के नाम खसरा नंबर 242 का 9.09 बीघा तथा खसरा नंबर 243 की 12.08 बीघा भूमि मे से 9 बीघा 17 बिस्वा कुल 2 खसरो की 19 बीघा 06 बिस्वा भूमि का ही रीको लि0 के नाम अवाप्ति के आधार पर स्वीकृत हुआ तथा खसरा नंबर 243 की शेष 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलांट संख्या 2 फुसाराम के नाम खसरा नंबर 243/2 मे दर्ज करते हुए म्युटेशन संख्या 496 स्वीकृत किया गया, जो म्युटेशन रेकर्ड पर है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब खसरा नंबर 243 का सम्पूर्ण रकबा अवाप्त होकर उसका मुआवजा खातेदारान को दे दिया गया तो खसरा नंबर 243/2 की भूमि पुनः फुसाराम के नाम दर्ज नही रखी जा सकती थी तथा उसके निरंतर मे खसरा नंबर 243/2 की भूमि का 2.11 बीघा रकबा म्युटेशन संख्या 668 तेजाराम, गिरधारीराम एवं फुसाराम प्रत्येक का 1/3 हिस्से का स्वीकृत कर दिया ।

प्रस्तुत अपील मे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्राम बोरानाडा के खसरा नंबर 242 मे से 5.10 बीघा एवं खसरा नंबर 243 मे से 0.15 बिस्वा कुल 6.05 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 68 के जरिये दिनांक 25–9–79 को ही सडक के रूप मे दर्ज हो चुकी थी तथा अपीलांट संख्या 2 ने उसके पश्चात खसरा नंबर 242 एवं 243 की शेष रही 21.02 बीघा भूमि दिनांक 18–6–80 को खरीद की थी ।

इस संबंध मे जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के दौरान ग्राम बोरानाडा के खसरा नंबर 242 व 243 के संबंध मे तहसीलदार जोधपुर से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 242 का 2.19 बीघा रकबा ही सडक मे गया जबकि रेकर्ड मे 5.10 बीघा रकबा कम कर दिया गया । खसरा नंबर 242 का मूल रकबा 14.19 बीघा था, सडक मे सहवन से 5.10 बीघा दर्ज करने से शेष 9.09 बीघा भूमि ही खातेदार के नाम बची तथा उक्त भूमि का ही बेचान वर्ष 1980 मे अपीलांट फूसाराम को किया गया तथा यही सम्पूर्ण रकबा 9.09 बीघा रीको द्वारा अवाप्त किया गया था ।

जहां तक अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि सडक मे गई भूमि के अतिरिक्त 2.11 बीघा भूमि का इन्द्राज रेस्पो0 के खाते मे नही किया गया है क्योंकि वह खाता ही विलोपित हो चुका था अतः रेस्पो0 किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है, उक्त कथन समर्थन योग्य नही है । यह सही है कि सडक मे गई भूमि न तो विधिवत अधिग्रहण की गई थी और न ही सडक की लंबाई चौडाई के उपरांत शेष बची भूमि को अन्य किसी उपयोग मे लाया गया । न्यायालय के विवेचन मे रेस्पो0 के शेष खाते की भूमि पूर्व के आदेश मे बतलाई जा चुकी है, जिसे रेस्पो0 के खाते मे ही इन्द्राज किया जाना चाहिये था । इसमे किसी प्रकार के तकनीकी दृष्टि से त्रुटि यदि है भी तो संबंधित पिडित पक्षकार राजस्व अधिकारियो के समक्ष चाराजोही कर इसे दुरस्त करवाने या न्यायालय के आदेश के अनुरूप अंकन करने हेतु स्वतंत्र है । इसके अभाव मे रेस्पो0 के अधिकार स्वतः ही समाप्त नही हो जाते ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–4–2010 मे सडक के नाम दर्ज अधिक रकबे को पुनः अपीलांट्स (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2) के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे । सडक मे खसरा नंबर 242 का केवल 2.19 बीघा भूमि का रकबा ही दर्ज किया जाना चाहिये था एवं शेष रकबा मूल खातेदार के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था ।

वर्तमान अपीलांट संख्या 2 फूसाराम (क्रेता) के नाम दर्ज दोनो खसरो की सम्पूर्ण भूमि रीको द्वारा अवाप्त कर उसे मुआवजा दे दिया गया था तो उसके खाते मे शेष कोई भूमि नही बची, इसलिए अपीलांट फुसाराम के नाम 2.11 बीघा भूमि जो खसरा नंबर 243 की बताते हुए दर्ज की गई है, वह वास्तव मे खसरा नंबर 242 की ही भूमि थी ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झंवर द्वारा पारित आदेश एवं नामांतरकरण की कार्यवाही मे कोई त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:25:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: